न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)

श्री मेघराज सिंह वगै **बनाम** श्री अर्जन कलाल वगै.

धारा 111–128 एल0आर0ए मुकदमा 128/2022

24.03.2022 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय संलग्न है। प्रकरण निर्णित शुमार हो नम्बर से कम किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी ओम प्रभा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर–128 / 2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. मेघराज पुत्र श्री हिम्मत सिंह बुरड निवासी नई शाम की सब्जी मण्डी, भीलवाड़ा।
2. सुनील कुमार पुत्र श्री हिम्मत सिंह बुरड निवासी नई शाम की सब्जी मण्डी भीलवाड़ा।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. अर्जन लाल पुत्र सन्दर लाल कलाल निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. उर्मिला पुत्री सुन्दर लाल कलाल निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा।
3. कंवर लाल पुत्र मोहन लाल कलाल निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा।
4. चन्द्रकला पुत्री सुन्दर लाल कलाल निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा।
5. शांतिलाल पुत्र मोहन लाल निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा।
6. सुशीला देवी पत्नी सुन्दर लाल कलाल निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा।
7. कमला बाई पुत्री प्रभुलाल ब्राम्हण निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा।
8. गौरी बाई पुत्री प्रभुलाल ब्राम्हण निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा।
9. जमना लाल पुत्र भुरालाल ब्राम्हण निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा।
10. मांगीलाल पुत्र भुरालाल ब्राम्हण निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा।
11. शशिकला पत्नी सुरेशचन्द्र ब्राम्हण निवासी गठिलाखेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
12. स्नेहलता पत्नी राजेन्द्र प्रसाद ब्राम्हण निवासी गठिलाखेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
13. सीमा पत्नी कैलाशचन्द्र ब्राम्हण निवासी गठिलाखेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
14. सोसर बाई पुत्री प्रभुलाल ब्राम्हण निवासी गठिलाखेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
15. अनिल पुत्र राजु नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमती रूकमणी पत्नी राजु कलाल निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा।
16. कन्हैयालाल पुत्र डालचन्द कलाल निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा।
17. कमलेश पुत्र डालचन्द कलाल निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा।
18. कालु उर्फ गुलाबचन्द पुत्र छोगा निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा
19. गीता पुत्री सोहन लाल कलाल निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा।
20. बदाम पत्नी स्व. सोहन लाल निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा।
21. भंवर लाल पुत्र स्व. सोहन लाल निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा।
22. मंशा पुत्री डालचन्द निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा।
23. रूकमणी पत्नी स्व. राजु कलाल निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा।
24. राजेश पुत्र डालचन्द निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा।
25. रामु पत्नी स्व. छोगा कलाल निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा।
26. लक्ष्मी देवी पत्नी स्व. डालचन्द कलाल निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा।
27. लालचन्द पुत्र बंशीलाल कलाल निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा।
28. लाल पुत्री सोहन लाल कलाल निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा।
29. लोकेश पुत्र राजु कलाल निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा।
30. शोभालाल पुत्र लक्ष्मण कलाल निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा।
31. सुरेश पुत्र छोगालाल कलाल निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा।
32. [illegible]लाल पुत्र सोहन लाल निवासी आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा।
33. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।

–विपक्षीगण

desktop/motidhar/111-128/march

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 24.03.2022

प्रार्थीगण की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम आटुण प0ह0 आटुण भू0अ0नि0 आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 2270/1 रकबा 0.0379 हैक्टयर आराजी नम्बर 2247 रकबा 0.1265 आराजी नम्बर 2270/2 रकबा 0.0379 हैक्टयर कुल किता 03 रकबा 0.2023 हैक्टयर भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन् किया। जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2073 ग्राम आटुण प0ह0 आटुण भू0अ0नि0 आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 2270/1 रकबा 0.0379 हैक्टयर आराजी नम्बर 2247 रकबा 0.1265 आराजी नम्बर 2270/2 रकबा 0.0379 हैक्टयर कुल किता 03 रकबा 0.2023 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज होकर खातेदार है। प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नही होते है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसंर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतःएंव

उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा–111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम आटुण प0ह0 आटुण भू0अ0नि0 आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 2270/1 रकबा 0.0379 हैक्टयर आराजी नम्बर 2247 रकबा 0.1265 आराजी नम्बर 2270/2 रकबा 0.0379 हैक्टयर कुल किता 03 रकबा 0.2023 हैक्टयर भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। राजकीय पत्थरगढी शुल्क 50/– रूपये तहसीलदार भीलवाडा के यहॉ संबंधित मद में प्रार्थीगण जमा करावे। पत्थरगढी किये जाने के लिये **भू0अ0निरीक्षक आटुण 500/–रूपये (पांच सौ रूपये)** कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हे मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है।

Desktop/motidhar/111-128/march

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयो में कार्यवाही विचाराधीन होने एंव स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावे।

अतः भू0अ0नि0 आदुण जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे।

पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार भीलवाडा को पालना हेतु लिखा जावे।

उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

(ओम प्रभा)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 24.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा